

राजस्थान-सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- एफ.4(ई)/द्वितीय एसीपी 94/अलेसे-III/3993-4065 दिनांक:- 24/6/2014

आदेश संख्या 28/2014-15

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.11(7) वित्त(नियम)/2008/ दिनांक 12.9.2008 एवं आदेश संख्या एफ11(7) वित्त (नियम) पार्ट-I/ 2008 दिनांक 6.10.2008 के अनुसरण में निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकारों जिन्होंने कनिष्ठ लेखाकार के पद पर 18 वर्ष की निरन्तर सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 5 में उल्लेखित दिनांक से कनिष्ठ लेखाकार के पद की द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी) पे-बेण्ड 2 (9300-34800) ग्रेड पे 4800/-में स्वीकृत की जाती है।

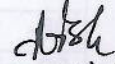
क्र.स.	नाम कनिष्ठ लेखाकार सर्व श्री	मेरिट / बैंच संख्या	क.लेखाकार पद पर प्रथम कार्यग्रहण तिथि	द्वितीय एसीपी देय तिथि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	
01-	भंवर लाल रणवां	07/94	18.04.1996	18.04.2014	
02-	प्रेम कान्त शर्मा	09/94	19.02.1996	19.02.2014	
03-	छगन लाल प्रजापत	14/94	30.04.1996	30.04.2014	
04-	मधु शर्मा	47/94	15.05.1996	15.05.2014	
05-	अनिल कुमार गोयल	51/94	24.02.1996	24.02.2014	
06-	सुरेश कुमार	128/94	17.04.1996	17.04.2014	
07-	राजेश कुमार अग्रवाल	131/94	19.02.1996	19.02.2014	
08-	ओम प्रकाश सैनी	177/94	19.02.1996	19.02.2014	
09-	राजेन्द्र सिंह विश्नोई	238/94	23.02.1996	23.02.2014	
10-	इन्द्राज सिंह	252/94	06.04.1996	06.04.2014	
11-	कैलाश चन्द्र गुप्ता	307/94	28.02.1996	28.02.2014	
12-	दिनेश कुमार दर्जी	376/94	18.05.1996	18.05.2014	
13-	ललित कुमार	379/94	25.05.1996	25.05.2014	
14-	नरेन्द्र कुमार असीजा	388/94	24.02.1996	24.02.2014	
15-	राधेश्याम	400/94	26.04.1996	26.04.2014	
16-	महावीर प्रसाद यादव	407/94	04.04.1996	04.04.2014	
17-	सुरेश कुमार	424/94	08.03.1996	08.03.2014	
18-	मदन लाल रैगर	476/94	12.04.1996	12.04.2014	
19-	निजामुद्दीन गौरी	427/94	21.05.1996	21.05.2014	
20-	अर्जुन सिंह	443/94	07.03.1996	07.03.2014	
21-	रामेश्वर प्रसाद यादव	454/94	22.02.1996	22.02.2014	
22-	भवानी सिंह आशिया	459/94	23.03.1996	23.03.2014	
23-	सुखवंत सिंह रामगडिया	461/94	16.03.1996	16.03.2014	
24-	कुलदीप सिंह भादा	502/94	15.05.1996	15.05.2014	
25-	चतर दास साद	507/94	22.05.1996	22.05.2014	

क्र.स.	नाम कनिष्ठ लेखाकार सर्व श्री	मेरिट / बैंच संख्या	क.लेखाकार पद पर प्रथम कार्यग्रहण तिथि	द्वितीय एसीपी देय तिथि	विशेष विवरण
26-	छीतरमल माली	514/94	20.04.1996	20.04.2014	
27-	गोपाल लाल यादव	518/94	21.05.1996	21.05.2014	
28-	नन्दकिशोर उपाध्याय	539/94	12.03.1996	12.03.2014	
29-	मांगीलाल भाटी	591/94	13.03.1996	13.03.2014	
30-	विजय छंगानी	D GS	10.01.1996	10.01.2014	
31-	अशोक कुमार दुसाद	DGS	27.05.1996	27.05.2014	
32-	सुजा साबरी	DGS	17.05.1996	17.05.2014	

उक्त कनिष्ठ लेखाकारों को वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प014 (88) वित्त/ नियम/2008 दिनांक 31.12.2009 में दी गई शर्तों के संबंध में संतोषजनक सेवा सम्बन्धी प्रमाण पत्र तथा संतान संबंधी शपथ पत्र प्राप्त के आधार पर आश्वासित कैरियर प्रगति(एसीपी) स्वीकृत की जाती है।

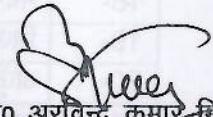
क्रम संख्या 02, 04, 05, 07, 10, 11, 12, 16,17, 18, 19, 20, 23, 25, 29 एवं 31 पर अंकित कनिष्ठ लेखाकारों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन नियमानुसार उपलब्ध नहीं होने पर गत 9 वर्षों में से 7 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की उपलब्धता के आधार पर द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति इस शर्त पर स्वीकृत की जाती है कि भविष्य में प्राप्त उक्त अवधि के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जावेगा तथा वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति के बारे में निर्णय लिया जाकर तदनुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

उपर्युक्त कनिष्ठ लेखाकारों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 12.9.2008 के पैरा 19 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि संबंधित कर्मचारी संशोधित वेतनमान 2008 में वेतन प्राप्त कर रहा है एवं एसीपी स्वीकृति तिथि को इनके विरुद्ध कोई विभागीय जाच लम्बित नहीं है। इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से संबंधित कनिष्ठ लेखाकार की सेवापुस्तिका में की जावे।


(वीरबाला जोशी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.4(ई)/द्वितीय एसीपी 94/अलेसे-III/3993-4065 दिनांक 24/6/2014
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष.....
2. श्री.....कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय.....
3. निजी सहायक, निदेशक महोदया
4. कार्यालय अधीक्षक (गोपनीय शाखा) को प्रेषित कर लेख है कि उक्त कनिष्ठ लेखाकारों के भविष्य में वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कोई प्रतिकूल प्रविष्टि प्राप्त होती है, तो उनके प्रकरण को पुनः खाले जाने के प्रस्ताव इस शाखा को प्रेषित करें।
5. उपनिदेशक(एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. निजी/गार्ड फाईल ।


(डा0 अराविन्द कुमार मिश्रा)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-1)